

11.02.2026 वकिल प्रार्थीगण अनुपस्थित। चूंकि मूलवाद का निस्तारण हो चुका है। ऐसी स्थिति में आवेदन पर आगे चलाने का औचित्य नहीं है। निहाय प्रार्थीगण का आवेदन पर इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है।

फावली फैसल रुमर होकर शाखिल इम्तार हो।

सहायक कलेक्टर  
(S.D.O.) बालोतरा